न्यायालय सहायक कलक्टर (मु0)–सीकर

उनवान– श्रवण बनाम चौथा आदि

किस्म मुकदमा– आ0 पत्र अ0धारा 212 आर.टी.ए. 1955 मु.नं0 48 वर्ष 2024

दिनांक	आज्ञा पत्र	
15.05.2024	पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री झाबरमल रॉयल द्वारा वाद पत्र व प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा पेश किया गया। रिपोर्ट राजस्व लिपिक ली गई। प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा दर्ज रजिस्टर किया जावे। प्रार्थी अधिवक्ता के इस अनुरोध पर कि प्रकरण अत्यावश्यक प्रकृति का है तथा प्रार्थी के पक्ष में अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा पारित नहीं किये जाने पर आवेदन पत्र का उद्देश्य ही असफल हो जायेगा। आवेदन पत्र अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा के बिन्दु पर अधिवक्ता प्रार्थी को सुना गया। प्रार्थी अधिवक्ता का कथन है कि अप्रार्थीगण हक हिस्से व कब्जा काश्त में दखलअन्दाजी करने, बेदखल करने, रहन विक्रय आदि करने पर आमादा है सो अप्रार्थीगण के विरुद्व अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की जावे। आवेदन पत्र की प्रकृति एवं आकस्मिकता को देखते हुये अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा इस आशय की जारी की जाती है कि अप्रार्थीगण को आगामी पेशी दिनांक 11.06.2024 तक ग्राम श्यामपुरा प0ह0 श्यामपुरा भू0अ0नि0 क्षेत्र रैवासा तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर की वादग्रस्त आराजी ख0 नं0 1464 रकबा 1.0200 है0 ख0नं0 1471 रकबा 0.8100 है0 ख0नं0 1472 रकबा 0.0500 है0 ख0नं0 1770 रकबा 0.1600 है0 कुल किता 4 कुल रकबा 2.0400 है0 में विवादित आराजियात पर रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाएं रखे। यह अन्तरिम आदेश प्रचलित, कटानशुद्धा, रिकोर्डेड रास्तों पर एंव विघुत कनेक्शन के लिए लागू नहीं रहेगा। प्रार्थी को निर्देशित किया जाता है कि अप्रार्थीगण के नोटिस की तामील को सामान्य व साधारण प्रकिया के साथ–साथ अप्रार्थीगण को प्रार्थना पत्र दस्तावेज व नोटिस आदि की प्रतियॉं रजिस्टर्ड डाक से भिजवाना सुनिश्चित करें तथा आगामी पेशी पर इस आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत भी करें अन्यथा आगामी तारीख पेशी पर एक पक्षीय अन्तरिम स्थगन स्वतः ही वैकेट हो जायेगा। प्रकरण को स्वच्छ हाथों से प्रस्तुत किया हुआ मानकर तथा एक पक्षीय सुनवाई के आधार पर न्यायालय की विवेकाधीन शक्तियों के तहत यह अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की गई है। लिहाजा प्रार्थी से यह अपेक्षा की जाती है कि वह उपरोक्तानुसार अप्रार्थीगण पर एक पक्षीय आदेश की तामील की ठोस कार्यवाही करें तथा आदेश 39 नियम (3) (क) के प्रावधानों की पालना सुनिश्चित करें। अन्यथा अन्तरिम आदेश को आयन्दा तारीख पेशी तक विस्तारित करने से पूर्व न्यायालय अपने विवेकाधिकार एवं अन्तर्निहित शक्तियों का प्रयोग करेगा जिन परिस्थितियों में यह अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा पारित की गई, में परिवर्तन की दशा में संशोधित/वैकेट कर दी जायेगी। अप्रार्थीगण को जरिये रजिस्टर्ड नोटिस तलब किया जावे। आगामी तारीख पेशी दिनांक 11.06.2024 तक ही उक्त आदेश प्रभावी रहे व तत्पश्चात् उक्त अन्तरिम आदेश हेतु पुनः विचार कर आगामी कार्यवाही हो। पत्रावली आईन्दा दिनांक 11.06.2024 को पेश हो। सहायक कलक्टर (मु0)सीकर	

11/6/24 पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उप./अप्रार्थी पक्ष की ओर से प्रस्तुत [illegible] हाजिर आये। वकील प्रार्थी ने अप्रार्थीगण के रिकार्ड [illegible] सहित पेश किये जो शामिल पत्रावली किये गये। पत्रावली वास्ते बहस आदेश व शामिल आदेश दिनांक 8/7/24 को पेश हो।

[illegible]

सहायक कलक्टर (मु.) सीकर

18/6/24 पत्रावली प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र [illegible] पर आज पेशी के आदेश पत्र [illegible] अप्रार्थी उपस्थित व पूर्व पेश हुई। वकील प्रार्थी ने निवेदन किया कि प्रकरण [illegible] न्यायालय [illegible] प्रकरण [illegible] चलाना नहीं चाहते हैं। वकील प्रार्थी के [illegible] नोट पेज के [illegible] लगाया गया। [illegible] दाखिल किया जा चुका है। [illegible] धारा 212 [illegible] कोई [illegible] नहीं है। अतः वकील प्रार्थी के अनुरोध पर [illegible] धारा 212 [illegible] नोट पेज के [illegible] है। पत्रावली [illegible] दाखिल दफ्तर हो।

[illegible]

सहायक कलक्टर (मु.) सीकर

[illegible] दिनांक 18/6/2024 को [illegible] कार्यालय में [illegible]

[illegible]

सहायक कलक्टर (मु.) सीकर

[illegible]